

फैक्स / स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या- 14/मु०13-33/2014 - 827

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,  
सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,  
दरभंगा।

पटना, दिनांक...03...714

विषय:- एम०जे०सी० सं०-57/2014, कपिलेश्वर भगत बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सी०डब्ल्यू०जे० सं०-2332/2009 कपिलेश्वर भगत बनाम राज्य सरकार में दिनांक 18.02.2009 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्च न्यायालय ने वादी की सेवा नियमितीकरण के दावे को खारिज कर दिया। पुनः वादी द्वारा उक्त मामले में एल०पी०ए० सं०-302/2009 दायर किया गया। एल०पी०ए० सं०-302/2009 में 21.06.2011 को पारित न्यायादेश में वादी के नियुक्ति को वैध ठहराया गया है। इस मामले में विद्वान् महाधिवक्ता बिहार द्वारा विश्वविद्यालय को सिविल रिव्यू दायर करने की सलाह दी गई है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय अधिवक्ता तथा विद्वान महाधिवक्ता बिहारके वैधिक परामर्श की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित वादों में सिविल रिव्यूसर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर दायर कर विभाग को दिनांक 15.07.2014 तक निश्चित रूपेण सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,



(राहुल सिंह)

bha सचिव